राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाए) आर.टी,डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

क्रमांक एफ.(146)/आर.एस.एच.ए.ए./Disease Package/2022/22 प्

दिनांकः 8 09 2022

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र कमांक 3308 दिनांक 16.12.2021 के कम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्त्रींगत पात्र लाभार्थी परिवार द्वारा योजना से सम्बद्ध अस्पतालों में स्वयं के खर्च पर कॉटेज / प्राइवेट / सेमी प्राइवेट रूम में उपचार लेने के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1. मरीज द्वारा स्वेच्छा से इस विकल्प का चयन किया जायेगा, अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज / मरीज के परिजनों पर उक्त विकल्प के चयन के लिये कोई दबाव नहीं बनाया जायेगा। उक्त संदर्भ में मरीज / मरीज के परिजनों की लिखित अनुमित संलग्न करनी होगी।
- 2. जिन एनएबीएच प्रमाणित (Fully/Pre entry level) निजी अस्पतालों की दैनिक रूम रेट इस कार्यालय को उपलब्ध होगी केवल उनको उक्त प्रावधान का लाभ योजना के लाभार्थी परिवारों को दिये जाने के लिए अनुमत किया जा सकेगा।
- 3. राजकीय अस्पतालों में स्वेच्छा से स्वयं के खर्च पर कॉटेज वार्ड में भर्ती होकर योजनान्तर्गत उपचार लेने के इच्छुक मरीजों को उपचार प्राप्त करने की अनुमित प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवायें, द्वारा जारी आदेश 103 दिनांक 31.03.2022 के क्रम में अस्पताल की आर.एम.आर.एस. द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान मरीज को स्वयं करना होगा।
- 4. यह प्रावधान केवल रूम चार्ज पर हीं लागू होगा। अस्पताल द्वारा मरीज का उपचार योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार निःशुल्क किया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ.अमित यादव) संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांक एफ.(146) / आर.एस.एच.ए.ए. / Disease Package / 2022 / 2 2 4 र प्रितिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है—

दिनांकः 8/08/2021

- 1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि.एवं स्वा. विभाग, राजस्थान सरकार।
- 3. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, राजस्थान सरकार।
- 4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 5. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
- 6. सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, राजस्थान सरकार।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
- 8. समस्त सरकारी एवं निजी सम्बद्ध अस्पताल, समस्त जिले।
- 9. सलाहकार, आई.टी, आरएसएचएए-विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।

कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

निजी अस्पताल में प्राइवेट रूम में उपचार लेने के लिए स्वीकृति पत्र

मैं
मरीज का नाम मरीज/मरीज के परिजन का नाम
मरीज / मरीज के परिजन के हस्ताक्षर
मोबाइल नम्बर
चयनित प्राइवेट रूम की श्रेणीः बेसिक/डीलक्स/सुपर डीलक्स/अन्य श्रेणी
चयनित प्राइवेट रूम की रेटः
दिनांक
स्थान

सरकारी अस्पताल में कॉटेज वार्ड में उपचार लेने के लिए स्वीकृति पत्र

मैं(मरीज का नाम / परि (जनआधार संख्या) यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि बीमा योजना में पात्र परिवार का सदस्य हूं। मैं योजनान्त में स्वयं के खर्च पर कॉटेज वार्ड में उपचार लेना चाहता ह अस्पताल प्रशासन द्वारा मेरे द्वारा चयनित उक्त श्रेणी के लिए मुझ पर कोई दवाब नहीं बनाया गया है। अस्पताल श्रेणी के उक्त रूम का खर्च मैं स्वयं वहन करूंगा / उपलब्ध करवा दी गई है।	मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य र्नगत सम्बद्ध सरकारी अस्पताल हूं/चाहती हूं। कॉटेज वार्ड में उपचार लेने के में उपचार के दौरान चयनित
मरीज का नाम	
मरीज/मरीज के परिजन का नाम मरीज/मरीज के परिजन के हस्ताक्षर मोबाइल नम्बर	
चयनित कॉटेज वार्ड की रेटः	
	दिनांक
	स्थान